मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक एल 1–10/346/2017/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31/03/ 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

2. **समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,**
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2019–20** – बजट आवंटन, व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना तथा चेक्स / देयकों के आहरण के संबंध में दिशा–निर्देश ।

संदर्भ :–
1. इस विभाग का क्रमॉक एल1–10/832/2017/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 10/04/2018
2. इस विभाग का क्रमॉक 587/587/2017/ब–1/चार भोपाल दिनांक 25/05/2018
3. इस विभाग का क्रमॉक–1594/आर./चार/ब–7/डीएमसी/2018 भोपाल दिनांक 28 दिसम्बर 2018

000

1. संदर्भित परिपत्रों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोषालय से आहरण की व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे । वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त निर्देशों के स्थान पर कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(I) <u>लेखानुदान आवंटन</u> –

2. मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को मध्य प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक–7 सन् 2019) पारित किया गया है। चूँकि आगामी चार माह के आवश्यक व्ययों के लिये लेखानुदान प्राप्त किया गया है परिणामतः मांग संख्यावार बजट पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया गया है। लेखानुदान संबंधी व्यय निरंतर योजनाओं के लिये प्राप्त होता है। अतः नवीन मदों पर व्यय नहीं किया जाए। मतदेय एवं भारित व्यय के लिये 1 अप्रैल, 2019 से 31 जुलाई, 2019 तक विभागवार आवंटित राशि का ब्यौरा संलग्न है। उपरोक्त आवंटन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है :–

(i) मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

(ii) मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के नियम 9 में वर्णित वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाये। इसके अतिरिक्त शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का भी कड़ाई से पालन किया जाये। किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक व्यय न किया जावे।

//2//

(iii) केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केन्द्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात् ही केन्द्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाना चाहिये । इन योजनाओं की राशि सक्षम वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही आहरित की जाए। जिन योजनाओं / कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के अधिकतम दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जावे।

(iv) बजट अनुमानों में अपरीक्षित मदों में रखे गये प्रावधान के विरूद्व व्यय, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र 347/आर 1703/चार/ब–1/2012, दिनांक 31.03.2017 में उल्लेखित सक्षम वित्तीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही किया जाये।

3. अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित राशि आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट किया जायेगा।

4. नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।

5. लेखानुदान में केन्द्र क्षेत्र, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं एवं मुक्त श्रेणी के व्ययों (देखें कण्डिका 7 (ii)) के लिए प्रावधानित बजट का 80 प्रतिशत तथा शेष योजनाओं के लिए प्रावधानित बजट का 50 प्रतिशत जारी किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होने पर विभाग संलग्न **परिशिष्ट–1** अनुसार वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा ।

(II) **आहरण से छूट** –

6. निर्माण कार्य विभाग/वन विभाग (WDDF /FDDF के देयकों) सहित केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित) योजनाओं हेतु **रूपये 100 करोड़** एवं शेष योजनाओं हेतु **रूपये 25 करोड़** से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है।

(i) सभी प्रकार के देयकों के आहरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

(ii) सभी प्रकार के आहरण में वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका / प्रत्यायोजित अधिकार (Book of Financial Powers / Delegated Powers) का अनिवार्यतः पालन किया जावे । जिन प्रकरणों में वित्तीय अधिकारों को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है, उन समस्त प्रकरणों में वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की पश्चात् ही देयक शासकीय कोष से आहरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

(iii) वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में संलग्न **परिशिष्ट–2** अनुसार जानकारी प्रेषित की जाये ।

(III) **व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना –**

7. प्रशासकीय विभागों द्वारा किये जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :–

(i) सामान्य श्रेणी के व्यय (ऐसे समस्त व्यय जो 'मुक्त' श्रेणी– अद्योलिखित कण्डिका (ii) में वर्गीकृत न हो)

(ii) 'मुक्त' श्रेणी के व्यय – ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में मासिक/त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो ।

8. सामान्य श्रेणी के व्ययों के लिए व्यय सीमा निर्धारित करने के लिये निम्न तीन प्रकार के नियंत्रण हो सकते हैं :–

(क) मासिक व्यय सीमा

(ख) त्रैमासिक व्यय सीमा

(ग) विशेष व्यय सीमा

8.1 जब तक विशेष व्यय सीमा नियत करने संबंधी आदेश, यदि कोई हो, में अन्यथा उल्लेखित न हो, सामान्य श्रेणी के व्ययों पर मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं, दोनों पृथक–पृथक लागू होंगी ।

8.2 **मासिक व्यय सीमा –**

मासिक व्यय सीमा बजट नियंत्रण अधिकारी (बी.सी.ओ.) पर लागू होगा । मासिक व्यय सीमा, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर बजट नियंत्रण अधिकारी बीसीओ को उपलब्ध शेष वार्षिक आवंटन की 10 प्रतिशत राशि होगी । निर्धारण का आधार **परिशिष्ट–3** में दर्शाया गया है।

नोट – वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लेखानुदान में प्रावधानित बजट के लिए प्रथम चार माह हेतु मासिक व्यय सीमा के संबंध में इस परिपत्र की **कंडिका– 12** का अवलोकन करें ।

8.3 **त्रैमासिक व्यय सीमा –**

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जायेगा । प्रथम दो त्रैमास में अधिकतम 45 प्रतिशत, प्रथम तीन त्रैमास में अधिकतम 70 प्रतिशत तथा (केवल) चतुर्थ त्रैमास हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है । निर्धारण का आधार **परिशिष्ट–4** में दर्शाया गया है ।

त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (योजना स्तर तक) पर लागू होगी ।

नोट – वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लेखानुदान में प्रावधानित बजट के लिए प्रथम चार माह हेतु त्रैमासिक व्यय सीमा के संबंध में इस परिपत्र की **कंडिका– 11** का अवलोकन करें ।

8.4 **विशेष व्यय सीमा –**

विशेष व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के स्थान पर निर्धारित की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम त्रैमास हेतु पूँजीगत कार्यो के लिए विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट–5 के अनुसार होगी । उक्त विशेष व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमाओं के स्थान पर लागू मानी जाएगी, अर्थात् उल्लेखित अवधि के दौरान उल्लेखित व्यय शीर्षो पर केवल उल्लेखित व्यय सीमा लागू होंगी, मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं लागू नहीं होंगी ।

8.5 **मासिक/त्रैमासिक सीमा में परिवर्तन –**

अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है ।

यदि एक बीसीओ दूसरे बीसीओ को राशि हस्तांतरित करता है, तो दूसरे बीसीओ द्वारा हस्तांतरित राशि में से किए गए व्यय को, पहले बीसीओ की मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा ।

यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षो में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है ।

9. **मुक्त श्रेणी के व्यय –**

वेतन–भत्ते–मजदूरी/न्यायालयीन डिक्री/छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति /प्राकृतिक आपदा/ऋण अदायगी आदि अतिआवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है। ऐसे व्ययों पर मासिक/त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा लागू नहीं होगी। इस श्रेणी में सम्मिलित व्यय **परिशिष्ट–6** में दर्शायें गये है ।

10. इस परिपत्र की कंडिका–6, जिसके द्वारा कोषालय से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में सीमा निर्धारित की गई है, यह निर्देश दोनों श्रेणियों के व्यय (सामान्य एवं मुक्त श्रेणी) पर लागू होगा । केन्द्र सहायित योजनाओं हेतु रूपये 100 करोड़ तथा शेष योजनाओं हेतु रूपये 25 करोड़ की सीमा यथावत् लागू रहेंगी ।

(IV) **लेखानुदान में जारी आवंटन से व्यय के लिए मासिक/त्रैमासिक सीमाओं का निर्धारण –**

11. इस परिपत्र की कंड़िका 8.2 एवं 8.3 में सामान्य वित्तीय वर्ष के लिए मासिक एवं त्रैमासिक व्यय की सीमा का निर्धारण किया गया है। चूँकि लेखानुदान की अवधि वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह की है जो कि प्रथम दो त्रैमास से कम अवधि है, इसलिए त्रैमासिक व्यय सीमाएँ लेखानुदान में प्रावधानित बजट आवंटन पर लागू नहीं होंगी । मुख्य बजट पारित होने के उपरांत आवंटन जारी किये जाने के पश्चात् त्रैमासिक व्यय सीमाएँ लागू होंगी ।

12. लेखानुदान में जारी आवंटन को दृष्टिगत रखते हुए मासिक व्यय सीमा परिशिष्ट–3 में उल्लेखित सूचकांक (D) का 25 % होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

31/3/19

(तेजस्वी एस. नायक)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं. एल1–10/347/2017/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट–1

लेखानुदान 2019 में प्रावधानित शेष आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

I

(राशि लाख में)

बजट शीर्ष	लेखानुदान में प्रावधान	उपलब्ध आवंटन	पुनर्विनियोजन से वृद्धि / कमी	कुल उपलब्ध आवंटन (5=3+4)	अद्यतन व्यय	शेष उपलब्ध आवंटन (7=5-6)	अतिरिक्त आवश्यक राशि (जुलाई 2019 तक के लिये)	आवश्यकता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II कंडिका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन से किये जाने के संबंध में टीप दे ।

III यदि कंडिका I में उल्लेखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित अथवा राज्य शासन से पृथक किसी अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित है, तो ऐसी सहायता राशि / केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दे ।

परिशिष्ट–2

वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रपत्र

क्रं0	विषय	विवरण
1	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (DDO) जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा ।	
2	कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा ।	
3	बजट प्रावधान, आवंटन, अद्यतन व्यय एवं शेष राशि	
4	यदि राशि आहरण कर बैंक खातें में रखी जावेगी तो योजनांतर्गत संचालित बैंक खातों की जानकारी (अंतिम शेष सहित)	
5	यदि राशि आहरण कर बैंक खातें में नहीं रखी जावेगी तो इस हेतु प्रमाण–पत्र दें ।	
6	अन्य	

नोट – आहरण अनुमति के प्रस्तावों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न की जाए ।

परिशिष्ठ–3

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगाः–

(A)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौत्री उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से **कंडिका 7 (ii)** अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C)=	**कंडिका 8.4** के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लेखित बजट शीर्षों, जिन्हें मासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन
(D)=	(A) - (B) - (C)
मासिक व्यय सीमा =	**उपरोक्त (D) का 10 प्रतिशत**

परिशिष्ठ–4

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगाः–

(A)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौत्री उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से **कंडिका 7 (ii)** अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C)=	**कंडिका 8.4** के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लिखित बजट शीर्षों, जिन्हें त्रैमासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन
(D)=	**(A)-(B)-(C)**

त्रैमासिक व्यय सीमा निम्नानुसार होगीः–

अवधि / त्रैमास	त्रैमासिक व्यय सीमा
Q1+Q2	उपरोक्त (D) का 45%
Q1+Q2+Q3	उपरोक्त (D) का 70%
Q4 (केवल)	उपरोक्त (D) का 30%

परिशिष्ट–5

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रूपये करोड़ में)

क्रं0	विभाग	मॉग एवं मुख्य शीर्ष	मासिक विशेष व्यय सीमा		
			अप्रैल 2019	मई 2019	जून 2019
1	लोक निर्माण	**24,67**–4059,4216,5054	580	580	580
2	जल संसाधन	**23,45**–4700,4701,4702,4705,4711	450	450	450
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	**20**–4215	225	225	225
4	नर्मदा घाटी विकास	**48**–4700,4701,4801	290	290	290
5	नगरीय विकास एवं आवास	**22**–4216,4217	110	110	110
6	अनुसूचित जनजाति	**33**–4202,4225	100	100	100
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	**30**–4515 **53**–4217,4515	200	200	200

नोट – यह विशेष व्यय सीमा ऊपर वर्णित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत आने वाली सभी मदों के लिये है।

परिशिष्ठ–6

मुक्त श्रेणी के व्यय

	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
(क)	जहॉ केन्द्रांश प्राप्त होने पर केन्द्रांश एवं राज्यांश आहरण एवं व्यय किया जाता है।	• केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सेगमेंट कोड–701, 702 एवं 703) • केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं (सेगमेंट कोड–801, 802 एवं 803)
(ख)	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के सभी मद।	• उददेश्य शीर्षः–# 41
(ग)	जहॉ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/भत्तों/ छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति का भुगतान होता हो।	• उददेश्य शीर्षः–# 42, विस्तृत शीर्षः–002(# 42-002) मांग संख्या–53, मुख्य शीर्ष–2202, योजना कंमाक–8403, 2773, 3496, 9416, 0581 एवं 5216 के अन्तर्गत • उददेश्य शीर्ष :–# 42, विस्तृत शीर्षः– 009 (# 42-009)।
(घ)	जहॉ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे– प्राकृतिक–आपदा, आरबीसी 6(4) के तहत भुगतान, राहत राशियां इत्यादि)	• मांग संख्या–58
	अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा	• मांग संख्या–33, मुख्य शीर्ष 2225, योजना कंमाक– 5191 • मांग संख्या–49, मुख्य शीर्ष 2225, योजना कंमाक– 5191
(ड.)	न्यायालयीन आदेश/ डिक्री से संबंधित भुगतान	• उददेश्य शीर्षः– # 53
(च)	शासन की ऐसी देयताएं, जहॉ निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे–ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियां)	• मांग संख्या– . (Dot) • मांग संख्या–.. (Double Dot) • मांग संख्या–11, • मुख्य शीर्ष–4851 एवं 4875, योजना कंमाक –7341 एवं 7879 उद्देश्य शीर्ष –# 68 • मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 6075 योजना कमांक – 6787,6788,6842 मुख्य शीर्ष 7610 योजना कमांक 9084,9085
(छ)	वैवेकिक अनुदान	• मांग संख्या–1, • मुख्य शीर्ष–2012 एवं 2013 उद्देश्य शीर्ष–# 44 योजना कं0–5839, 9060, 9064 एवं 9939 • मांग संख्या–24, मुख्य शीर्ष–5054, योजना कं.–6738 उद्देश्य शीर्ष–# 68

	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
	स्वेच्छा अनुदान निधि (सांसद/विधायक)	• मांग संख्या–60, मुख्य शीर्ष–2515, योजना कं0–1954 एवं 5272, उद्देश्य शीर्ष–44 • मांग संख्या 28 योजना कमांक –4007
(ज)	स्थापना व्यय	• उद्देश्य शीर्ष– # 11,12,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26 • उद्देश्य शीर्ष–# 22, विस्तृत शीर्ष–001,002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 014
(झ)	वित्त विभाग के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित मुक्त श्रेणी के अन्य व्यय	• मांग संख्या –48 योजना कमांक 6818 • मांग संख्या–31 एवं 60 योजना कमांक –8284 • मांग संख्या –08 योजना कमांक 2617